(3)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : एस0एस0 अली
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक–132–दो/2006 विरूद्ध आदेश दिनांक 03–01–2005 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण क्रमांक –91/निग0/2004–05

.....

श्री मुनौअर खां तनय श्री जोहराव खां
निवासी–विछियां, बोलछडी मस्जिद के पास
तहसील हुजूर, जिला–रीवा

------आवेदक

विरूद्ध

नजीर खां तनय श्री बसीर खां
निवासी–विछियां, बोलछडी मस्जिद के पास
तहसील हुजूर, जिला–रीवा

------अनावेदक

.....

श्री एस0के0 श्रीवास्तव, अभिभाषक, आवेदक
श्री के0के0 द्विवेदी, अभिभाषक, अनावेदक

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 5/7/2017 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 03–01–2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक द्वारा संहिता की धारा 178 के अंतर्गत आराजी खसरा क्र0 5199 रकबा 0.02 एकड़ भूमि स्थित मोहल्ला बिछिया तहसील हुजूर, जिला रीवा के बटवारा हेतु आवेदन पत्र नजूल तहसीलदार के

न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जिसमें अनावेदक को सूचना की तामील मानकर दिनांक 08.04.2003 को एकपक्षीय कार्यवाही की गई। अनावेदक द्वारा विचारण न्यायालय में एकपक्षीय कार्यवाही निरस्त करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने पर नजूल तहसीलदार ने अंतिम तर्क के साथ उक्त आवेदन पर पुनः विचार करने का आदेश पारित किया । नजूल तहसीलदार के उक्त आदेश के विरूद्ध अपर कलेक्टर रीवा के समक्ष चुनौती दी गई। अपर कलेक्टर ने दिनांक 31.03.2005 को आदेश पारित करते हुये नजूल तहसीलदार को एकपक्षीय आवेदन पर विचार कर आदेश पारित करने हेतु प्रकरण प्रत्यावर्तित किया । अपर कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा अपर आयुक्त रीवा के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई, जो आदेश दिनांक 03.01.2006 से निरस्त की गई। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक अभिभाषक के मुख्य तर्क इस प्रकार है कि आवेदक द्वारा विधिवत नजूल तहसीलदार के समक्ष बटवारा का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमें अनावेदक को चस्पादगी से सूचना तामील कराई गई थी। सूचना तामीली के उपरांत अनुपस्थित रहने से अनावेदक के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई थी। प्रकरण में साक्ष्य लिये जा चुके थे। इसलिये तहसीलदार ने आवेदक के आवेदन पत्र पर अंतिम तर्क के साथ विचार करने का आदेश पारित किया था । तहसीलदार द्वारा की गई कार्यवाही में कोई अवैधानिकता नहीं थी, परन्तु अपर कलेक्टर द्वारा उसे निरस्त करने में त्रुटी की गई है। यह भी तर्क है कि अपर आयुक्त द्वारा अपर कलेक्टर के प्रत्यावर्तन आदेश की पुष्टि करने में अवैधानिकता प्रकट हुई है। अतः निगरानी स्वीकार की जावे।

4/ अनावेदक के विद्ववान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिया है कि अनावेदक को विधिवत तामीली नहीं कराई गई थी। जानकारी प्राप्त होने पर उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही को निरस्त करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया जिस पर नियमानुसार पहले आदेश पारित किया जाना चाहिये था जो नजूल तहसीलदार द्वारा नहीं किया गया । इस कारण अपर कलेक्टर द्वारा नजूल तहसीलदार के आदेश को निरस्त कर एकपक्षीय कार्यवाही निरस्ती आवेदन पर विचार करने हेतु प्रकरण प्रत्यावर्तित करने में उचित कार्यवाही की गई है। अपर आयुक्त ने भी अपर कलेक्टर द्वारा पारित किये गये आदेश को उचित माना है । अतः निगरानी निरस्त की जावे।

5/ उभयपक्ष अभिभाषकों के तर्कों पर विचार किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया गया । विचारण न्यायालय के रिकॉर्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनावेदक को सूचना तामीली कराई गई थी, जिस पर साक्षी के हस्ताक्षर नहीं है। नजूल तहसीलदार के समक्ष अनावेदक द्वारा एकपक्षीय कायवाही निरस्त करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने पर नजूल तहसीलदार को सर्वप्रथम साक्ष्य के जॉच के आदेश पारित करना चाहिये था। इसके पश्चात ही साक्ष्य व अंतिम तर्क सुनना चाहिये था। इस कारण अपर कलेक्टर ने नजूल तहसीलदार के आदेश को निरस्त कर पुनः उक्त आवेदन पत्र पर सुनवाई लेने हेतु प्रत्यावर्तित करने में विधिसम्मत कार्यवाही की है। अपर कलेक्टर के इसी आदेश को अपर आयुक्त ने भी स्थिर रखा है। दोनों अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में कोई अवैधानिकता प्रकट नहीं होती है।

6/ उपरोक्त विवेचना के परिप्रेक्ष्य में आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी निरस्त की जाती है तथा अपर आयुक्त रीवा का आदेश दिनांक 03.01.2006 विधिनुकूल होने से यथावत रखा जाता है।

(एस0एस0 अली)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,मध्प्रदेश,
ग्वालियर,